न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/57/2019

अपींलाट गोविन्दराम पुत्र श्री नेनाराम
निवासी शास्त्री नगर कॉलोनी, वार्ड सं. 32, बालोतरा

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा

<u>आदेश</u>

दिनांक : 11.12.2019

अपीलार्थी गोविन्दराम पुत्र श्री नेनाराम निवासी शास्त्री नगर कॉलोनी, वार्ड सं. 32, बालोतरा ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार पचपदरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 13.08.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 921920 दिनांक 20.06.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पचपदरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज की सूचना प्रदान कर रसीद प्राप्त कर ली गई है, शेष उप पंजीयक कार्यालय से सम्बन्धित सूचना हेतु उप पंजीयक जसोल को अवगत कराया एवं प्रार्थी को सूचित किया गया है। इस कार्यालय से कोई सूचना बकाया नहीं है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना रेस्पोडेन्ट कार्यालय में यथा उपलब्धता दी जा चुकी है, शेष के लिए अन्य कार्यालय को अंतरित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियमानुसार निस्तारित किया गया है, लिहाजा रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उप्रांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.12.28 13:48:10 IST
Reason: SelfAttested